उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक......B/2599................./ जबलपुर, दिनांक 04/06/2021

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, म.प्र.,
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर, म.प्र.
3. जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर, मध्यप्रदेश,
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश..............(समस्त).
5. संचालक, म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक/आई.एल.आर. एवं परीक्षा/सतर्कता, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार प्रशा./न्यायिक 1 एवं 2/जिला स्था./डी.ई./आई.एल./एक्ज़ाम एण्ड लेबर ज्यूडिशरी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. रजिस्ट्रार (एम), ओ.एस.डी. कम–पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. ओ.एस.डी..........(समस्त) उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.).................(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
12. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.).................(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
13. डिप्टी कन्ट्रोलर एकाउन्ट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. लाइब्रेरियन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के सेक्रेटरी टू जजेस, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
16. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.)/इंचार्ज.......................समस्त, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
17. सहायक संपादक (आई.एल.आर.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
18. सहायक स्थापना/ स्थापना सैट/ लेखा/ बजट/ पेंशन/ वेतनपत्रक/ अवकाश (राजपत्रिक), उच्च न्यायाल मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाना स्वीकार किया जावें।

संलग्न :– म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल, का
पत्र क्र. एफ 7–42/2012/आप्र/एक, भोपाल, दिनांक 27 जुलाई, 2017
की प्रतिलिपि

AP

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्र. एफ 7–42/2012/आप्र/एक,   भोपाल, दिनांक 27 जुलाई, 2017.

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

म.प्र. मंत्रालय
सामान्य प्रशासन विभाग
कक्ष 7–1
पंजी क्र. 1980
दिनांक 28/07/17

विषयः–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को जाति प्रमाण पत्र के संबंध में।

संदर्भः–सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्र. 7–2/96/आप्र/एक, 01.08.1996 एवं क्र. एफ 7–42/2012/आप्र/एक, दिनांक 13.01.2014.

--0--

सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्र. 74–(R –335–l (iii)–61, दि08.01.1962, एफ 7–12/83/1 ह.आ.से. दिनांक 26.07.1984, क्र. एफ 7–4/87 /1/ह.आ.से. दि. 26.05.1987

संदर्भित ज्ञापन दिनांक 01.08.1996 द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये है इसमें स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु जिलाध्यक्ष, अपर जिलाध्यक्ष, उप जिलाध्यक्ष/अनुविभागीये अधिकारी (राजस्व) को प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है। साथ ही आवेदन का पंजीयन विविध राजस्व के रूप में प्रकरण शीर्ष ( ) बी–121 के अंतर्गत पंजी में संधारित करने के लिए प्रपत्र भी निर्धारित किया गया है। तत्पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 13.01.2014 द्वारा जाति प्रमाण पत्र संबंधी प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को पदाभिहित अधिकारी घोषित किया गया है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का प्रारूप एवं जाति प्रमाण पत्र के प्रारूप भी निर्धारित किये गये। वर्तमान मे इन निर्देशों के अनुरूप ही जाति प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे है।

2/ पार्श्व में अंकित संदर्भो में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 08.01.1962 द्वारा राजपत्रित अधिकारी, तहसीलदार या फारेस्ट रेंजर द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र स्वीकार करने के निर्देश दिये गये थे। परिपत्र दिनांक 10.04.1975 के द्वारा माननीय मंत्रीगणों द्वारा दिया गया जाति प्रमाण पत्र भी स्वीकार किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। परिपत्र दिनांक 26.07.1984 द्वारा अतिरिक्त नायब तहसीलदारों को भी जिन्हें भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत तहसीलदार के अधिकारों से वैष्ठित किया गया हो, को भी जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया गया व परिपत्र दिनांक 26.05.1987 द्वारा जाति प्रमाण

Joshiji
for uploading pl
28/07/17

..2..

पत्र जारी करने हेतु केवल निम्न अधिकारियों को अधिकृत किया गया :-

1. कलेक्टर/एडीशनल कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/
एस.डी.ओ./सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट
2. तहसीलदार
3. नायब तहसीलदार
4. परियोजना प्रशासक/अधिकारी (वृहद/मध्यम/लघु)
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना

3/ उक्त अधिकारियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत करने के जो निर्देश जारी किये गये थे उस समय न तो जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का प्रावधान था और न इस हेतु कोई प्रारूप निर्धारित था और न ही इनका कोई अभिलेख रखा जाता था।

4/ मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 18.07.1996 को एक परिपत्र (एफ 7-2/1996) जारी किया गया था जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि एक बार जाति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् वह सभी विभाग, उपक्रम, संस्थाओं के लिए मान्य होगा। इन निर्देशों में यह भी उल्लेख किया गया था कि जान-बूझकर परेशान करने की दृष्टि से जाति प्रमाण पत्र की मांग करने वालों को निलंबित किया जाए और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

5/ शासन के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि अगस्त, 1996 के पूर्व जिन्हें जाति प्रमाण पत्र जारी हुए है उन्हें अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। ऐसे लोगों के जाति प्रमाण पत्र कलेक्टरों को पुष्टि हेतु भेजने पर इनका रिकार्ड कलेक्टर के पास न होने से इनकी पुष्टि नहीं हो पाने के कारण जाति प्रमाण पत्र धारक को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः स्पष्ट किया जाता है कि अगस्त, 1996 के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अंतर्गत जो जाति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं वे आज भी मान्य हैं। इन प्रमाण पत्रों को केवल इस आधार पर फर्जी नहीं माना जा सकता है कि कलेक्टर के पास उसका रिकार्ड नहीं है। यदि जांच की स्थिति निर्मित होती है तो कलेक्टर को इसकी विस्तृत जांच करने के पश्चात् ही प्रतिवेदन प्रेषित करना चाहिए।

(के.के. कातिया)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्र. एफ 7-42/2012/आप्र/एक, भोपाल, दिनांक 27 जुलाई, 2017

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल.
4. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल.
5. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय,मंत्रालय,म.प्र.शासन, भोपाल.
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
7. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल.
8. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल.
10. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
11. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
12. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
13. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल.
14. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 309 निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए अरेरा हिल्स, भोपाल।
15. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं. 103 तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी पूजा गुप्ता, हैदराबाद-500082।
16. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल।
17. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
18. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
19. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल,
20. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय,
21. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी, सा.प्र.वि. मंत्रालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया इन निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी संबंधितों को अवगत कराएं।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग